



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244960
CG-DL-E-05042023-244960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1542]

No. 1542]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

रेल मंत्रालय
(उत्तर रेलवे)
(निर्माण संगठन)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1620(अ).—रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड 37—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल मंत्रालय ने शेष 0.8075 हेक्टेयर भूमि (9 बिघा—12 बिस्वा) के अधिग्रहण के लिए एक **विशेष रेल परियोजना** के रूप में **बिजवासन के फाईट एवं कोचिंग टर्मिनल** के विकास हेतु सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी एवं जनता के लोक कल्याण हेतु राष्ट्रीय मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम—भरतल, जिला—दक्षिण पश्चिम, दिल्ली राज्य के अनुभाग को अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 190-W/Misc/Land/Bijwasan]
ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि.

MINISTRY OF RAILWAYS
(Northern Railway)
(CONSTRUCTION ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1620(E).—In exercise of the power conferred by clause 37A of section 2 of the Railway Amendment Act, 2008, Ministry of Railways notifies Development of Freight & Coaching Terminal at Bijwasan Project as a Special Railway Project for acquisition of balance 0.8075 Hectare land (9 Bigha-12 Biswa) in Village— Bhartal, District-South West, Delhi State, for providing National infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[F. No. 190-W/Misc/Land/Bijwasan]

A.K. SINGHAL, Chief Administrative Officer/Const.